रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

200

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 01] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 1, 2013/पौष 11, 1934

No. 01] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 1, 2013/PAUSA 11, 1934

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2012

सं. एल-7/45(160)/2012-के.वि.वि.आ.–केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 178 के अधीन प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त सामर्थ्यकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात् 2009 में यथा संशोधित, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन तथा शर्तें) विनियम, (जिसे इसे इसमें इसके पश्चात् "मूल विनियम" कहा गया है) का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात :-

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ:**

(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन तथा शर्तें) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2012 है।

(2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **मूल विनियम के विनियम 3 का संशोधन:**

(1) मूल विनियम के विनियम 3 के खंड 31 के पश्चात्, एक नया खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात् :-

"(31क) "पम्पित भंडारण हाइड्रो उत्पादन केंद्र" से ऐसा हाइड्रो केंद्र अभिप्रेत है जो निम्न उत्थापन जलाशय से उच्चतर उत्थापन जलाशय तक पम्पित जल ऊर्जा के रूप में भंडारित ऊर्जा के माध्यम से ऊर्जा उत्पादित करता है।"

(2) विनियम 3 के खंड (12) के उप-खंड (ख) , खंड 41 तथा खंड 42 के उप-खंड (घ) में "हाइड्रो उत्पादन केंद्र" शब्दों के पश्चात् "जिसमें पम्पित भंडारण हाइड्रो उत्पादन केंद्र भी हैं" शब्द जोड़े जाएंगे।

3. मूल विनियम के विनियम 7 का संशोधन:

(1) मूल विनियम के विनियम 7 के खंड (2) के चौथे परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :

"परंतु यह भी कि आयोग, समय-समय, पर अधिनियम की धारा 3 के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा जारी टैरिफ नीति के अनुसार हाइड्रो-इलैक्ट्रिक परियोजनाओं की संवीक्षा तथा कमीशनिंग अनुसूची के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत जारी कर सकेगा।

(2) मूल विनियम के विनियम 7 के खंड (2) के छठे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित एक नया परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :

"परंतु यह भी कि हाइड्रो उत्पादन की पूंजी लागत में ऊर्जा केंद्र के पांच किलोमीटर की दूरी के भीतर अवस्थित ग्रामीण परिवारों को ऊर्जा की आपूर्ति के लिए अवसंरचना तैयार करने की लागत भी सम्मिलित होगी यदि उत्पादन कंपनी अपने निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के रूप में ऐसे व्यय को पूरा करने का आशय नहीं रखती है।"

4. मूल विनियम के विनियम 8 का संशोधन:

(1) मूल विनियम के विनियम 8 के उप-खंड (iii) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-खंड रखा जाएगा, अर्थात् :

"(iii) हाइड्रो उत्पादन केंद्र, जिसमें पम्पित भंडारण हाइड्रो-इलेक्ट्रिक उत्पादन केंद्र भी सम्मिलित है – 1.5 प्रतिशत"

(2) मूल विनियम के विनियम 8 के खंड (iv) के उप-खंड (ग) के पश्चात्, एक नया उप-खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात् :

"(घ) गैस इस्युलेटेड सब-स्टेशन (जीआईएस) -3.5 प्रतिशत"

5. मूल विनियम के विनियम 9 का संशोधन:

(1) मूल विनियम के विनियम 9 के खंड (2) में, "उपगत पूंजी व्यय" शब्दों के पश्चात् "या उपगत किए जाने के लिए प्रक्षेपित" शब्द जोड़े जाएंगे"।

(2) मूल विनियम के विनियम 9 के उप-खंड (viii) के पश्चात् निम्नलिखित एक नया उप-खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात् :

"(ix) ऊर्जा केंद्र के पांच किलोमीटर की दूरी के भीतर ग्रामीण परिवारों को विश्वस्त ऊर्जा की आपूर्ति के लिए अवसंरचना सृजित करने के मद्दे व्यय, यदि उत्पादन कंपनी अपनी निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के भाग के रूप में ऐसे व्यय को पूरा करने का आशय रखती है।"

6. मूल विनियम के विनियम 11 का संशोधन :

मूल विनियम के विनियम में आने वाले "लागू फ्रिक्वेंसी-लिंक्ड यूआई दर पर" शब्दों के स्थान पर "समय-समय पर यथा संशोधित केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अननुसूचित विनियम तथा सहबद्ध विषय) विनियम 2009 के अनुसार" शब्द रखे जाएंगे।

7. मूल विनियम के विनियम 15 का संशोधन:

(1) मूल विनियम के विनियम 15 के खंड (2) (परंतुकों के बिना) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :

"(2) थर्मल उत्पादन केंद्र, पारेषण प्रणाली तथा नदी से चलने वाले उत्पादन केंद्र के लिए 15.5 प्रतिशत तथा पम्पित भंडारण हाइड्रो उत्पादन केंद्रों सहित भंडारण आकार के उत्पादन केंद्र तथा तालाब सहित नदी से चलने वाले उत्पादन केंद्र के लिए 16.5 प्रतिशत की आधार दर पर रिटर्न ऑन ईक्विटी को पूर्व कर आधार पर संगणित किया जाएगा तथा इस विनियम के खंड (3) के अनुसार ग्रासड्-अप किया जाएगा।"

8. मूल विनियम के विनियम 21 के संशोधन:

मूल विनियम के विनियम 21 के खंड (6) के अधीन, निम्नलिखित परंतु जोड़े जाएंगे, अर्थात् :-

"परंतु यह कि उत्पादन कंपनी उत्पादन केंद्र के फायदाग्राहियों को इन विनियमों के परिशिष्ट-1 के भाग 1 के प्ररूप 15 के अनुसार, जीसीवी के पैरामीटरों तथा ईंधन की कीमत, अर्थात् स्वदेशी कोयला, आयातित कोयला, ई-नीलामी कोयला, लिग्नाइट, प्राकृतिक गैस, आरएलएनजी, द्रव ईंधन आदि के ब्यौरे देंगे :

परंतु यह और कि स्वदेशी कोयला, ई-नीलामी, कोयले का अनुपात तथा यथा प्राप्त ईंधनों में औसत भारित जीसीवी प्राप्त सहित आयातित कोयले के ब्लैडिंग अनुपात के ब्यौरे संबंधित मास के बिलों के साथ पृथक् रूप से प्रदान किए जाएंगे :

परंतु यह भी कि जीसीवी के पैरामीटरों के ब्यौरे और ईंधन की कीमत, अर्थात् स्वदेशी कोयला, आयातित कोयला, ई-नीलामी कोयला, लिग्नाइट, प्राकृतिक गैस, आरएलएनजी द्रव ईंधन आदि के बिलों की कीमत तथा स्वदेशी कोयला, ई-नीलामी का अनुपात सहित आयातित कोयला के ब्लैंडिंग अनुपात के ब्यौरे उत्पादन कंपनी की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किए जाएंगे। ब्यौरों को तीन मास की अवधि के लिए मासिक आधार पर वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए।"

9. मूल विनियम के विनियम 22 का संशोधन:

(1) मूल विनियम के विनियम 22 के शीर्षक के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात् :

"पम्पित भंडारण हाइड्रो उत्पादन केंद्र से भिन्न हाइड्रो उत्पादन केंद्रों के क्षमता प्रभार तथा ऊर्जा प्रभार की संगणना तथा संदाय।"

(2) मूल विनियम के विनियम 22 के खंड (7) के पश्चात्, एक नया खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात् :-

"7क. जम्मू-कश्मीर राज्य में अवस्थित एनएचपीसी लिमिटेड के हाइड्रो उत्पादन केंद्रों की दशा में, जम्मू तथा कश्मीर संसाधन (विनियम तथा प्रबंधन) अधिनियम, 2010 के अधीन राज्य जल संसाधन विकास प्राधिकरण, जम्मू को जल उपयोग प्रभारों के संदाय के लिए उपगत कोई भी व्यय फायदाग्राहियों द्वारा मास से मास के आधार पर उत्पादन केंद्रों से ऊर्जा की आपूर्ति के अनुपात में अतिरिक्त ऊर्जा प्रभार के रूप में संदेय किया जाएगा :

परंतु यह कि एनएचपीसी राज्य जल संसाधन प्राधिकरण, जम्मू को पहले ही किए गए संदाय के लिए अतिरिक्त ऊर्जा प्रभारों को इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख को छह मासिक बराबर किस्तों में भारतीय स्टेट बैंक की अभिभावी आधार दर पर ब्याज सहित जल उपयोग प्रभारों के रूपए वसूल करने का हकदार होगा :

परंतु यह और कि इस खंड के उपबंध माननीय जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय की ओडब्ल्यूपी संख्या 604/2011 के विनिश्चय के अधीन रहते हुए होंगे तथा उच्च न्यायालय के विनिश्चय के अनुसार उपांतरित समझे जाएंगे।

10. विनियम 22क का जोड़ा जाना:

मूल विनियम के विनियम 22 के पश्चात् एक नया विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात् :

"22क. पम्पित भंडारण हाइड्रो उत्पादन केंद्र

(1) पम्पित भंडारण हाइड्रो उत्पादन केंद्र की नियत लागत की संगणना इन विनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट संनियमों के आधार पर की जाएगी तथा उनकी वसूली क्षमता प्रभार के रूप में मासिक आधार पर की जाएगी। क्षमता प्रभार फायदाग्राहियों द्वारा उत्पादन केंद्र की विक्रीयोग्य क्षमता में अपने-अपने आबंटन के अनुपात में, अर्थात् क्षमता जिसमें गृह राज्य को नि:शुल्क ऊर्जा नहीं है, संदेय होंगे।

परंतु यह कि उत्पादन केंद्र की पहली यूनिट की वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख तथा उत्पादन केंद्र की वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख के बीच की अवधि के दौरान, वार्षिक नियत लागत को, ऐसी अवधि के दौरान क्षमता प्रभार संदाय का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए, उत्पादन केंद्र के पूरा होने की लागत के नवीनतम प्राक्कलन के आधार पर अनंतिम रूप से तय किया जाएगा।

(2) कलैंडर मास के लिए पम्पित भंडारण हाइड्रो उत्पादन केंद्र को संदेय क्षमता प्रभार निम्नलिखित होंगे :-

(एएफसी X एनडीएम/एनडीवाई) (रूपए में), यदि मास के दौरान वास्तविक केंद्र द्वारा उत्पादन >= केंद्र द्वारा मास के दौरान उपयोग की गई पम्पिंग ऊर्जा का 75% है और

[(एएफसी X एनडीएम/एनडीवाई) X (व्यस्ततम घंटों के दौरान मास के दौरान वास्तविक उतादन/मास के दौरान केंद्र द्वारा उपयोग की गई पम्पिंग ऊर्जा का 75%) (रूपए में)], यदि मास के दौरान वास्तविक उत्पादन < केंद्र द्वारा मास के दौरान उपयोग की गई पम्पिंग ऊर्जा का 75% है।

जहां,

एएफसी = वर्ष के लिए विनिर्दिष्ट वार्षिक नियत लागत, रूपए में

एनडीएम = मास में दिनों की संख्या

एनडीवाई = वर्ष में दिनों की संख्या

(3) ऊर्जा प्रभार डिजाइन ऊर्जा के आधिक्य में फायदाग्राहियों को प्रदाय की जाने वाली अनुसूचित कुल ऊर्जा के लिए प्लस निम्न उत्थापन जलाशय से उच्चतर उत्थापन जलाशय से जल की पम्पिंग करने में प्रयुक्त ऊर्जा का 75% प्रत्येक फायदाग्राही द्वारा संदेय होगा जो एक्स ऊर्जा संयंत्र आधार पर प्रत्येक मास के दौरान 20 पैसे प्रति

केडब्ल्यूएच, नि:शुल्क ऊर्जा को छोड़कर, के औसत ऊर्जा प्रभार दर के बराबर समान दर पर होंगे।

(4) मास के लिए उत्पादन कंपनी को संदेय ऊर्जा प्रभार निम्नलिखित होंगे :

= 0.20 X [केडब्ल्यूएच में मास के लिए अनुसूचित ऊर्जा (एक्स-बस) – (मास के लिए डिजाइन ऊर्जा + मास के निम्न उत्थापन जलाशय से उच्चतर उत्पादन जलाशय तक जल की पम्पिंग में प्रयुक्त ऊर्जा का 75%)] X (100-एफईएचएस)/100

जहां,

डीईएम = नीचे खंड (6) के उपबंध के अधीन रहते हुए, एमडब्ल्यूएच में, हाइड्रो उत्पादन केंद्र के लिए विनिर्दिष्ट मास के लिए डिजाइन ऊर्जा।

एफईएचएस = विनियम 32 में यथा परिभाषित, प्रतिशतता में, गृह राज्य के लिए नि:शुल्क ऊर्जा, यदि कोई हो :

परंतु यह और कि यदि मास में अनुसूचित ऊर्जा मास के लिए डिजाइन ऊर्जा से कम है प्लस मास के निम्न उत्थापन जलाशय से उच्चतर उत्थापन जलाशय तक जल के पम्पिंग में प्रयुक्त ऊर्जा का 75% है तो फायदाग्राहियों द्वारा संदेय ऊर्जा प्रभार शून्य होंगे।

(5) उत्पादक घंटों के आधार पर, ऊपरी उत्थापन जलाशय में प्राकृतिक जल के दैनिक प्रवाहों तथा ऊपरी उत्थापन जलाशय तथा निम्न उत्थापन जलाशय के जलाशय स्तर के अभिलेख को बनाए रखेगा। उत्पादन से उपलब्ध जल, जिसमें जल का प्राकृतिक प्रवाह भी सम्मिलित है, के साथ व्यस्ततम घंटे की अधिकतम आपूर्ति को बनाए रखने की अपेक्षा की जाएगी। यदि यह साबित हो जाता है कि उत्पादक जानबूझकर या अन्यथा किसी वैध कारणों से आफ-पीक अवधि के दौरान निम्न उत्थापन जलाशय से उच्चतर उत्थापन जलाशय तक जल की पम्पिंग नहीं कर रहा है या अपनी संभाव्यता के अनुकूल ऊर्जा का उत्पादन नहीं कर रहा है या जल के प्राकृतिक प्रवाह को बर्बाद कर रहा है तो फायदाग्राहियों द्वारा दिन के क्षमता प्रभार संदेय नहीं होंगे। इस प्रयोजन के लिए, यूनिट/स्टेशन की आउटेज, जिसमें योजनाबद्ध आउटेज भी है, वर्ष में 15% तक बलपूर्वक आउटेज को आफ-पीक अवधि के दौरान निम्न उत्थापन जलाशय से उच्चतर उत्थापन जलाशय तक जल की पम्पिंग नहीं करने के लिए या पम्पिंग जल या जल के प्राकृतिक प्रवाह का उपयोग करने वाली ऊर्जा का उत्पादन नहीं करने का वैध कारण समझा जाएगा।

परंतु यह और कि वर्ष के दौरान वसूल किए गए कुल क्षमता प्रभारों का समायोजन वर्ष में 15 प्रतिशत से अधिक में कुल मशीन आउटेजों की दशा में निम्नलिखित रीति से आनुपातिक आधार पर किया जाएगा :

$$(\text{एसीसी})_{\text{समायोजन}} = (\text{एसीसी})_{\text{आर}} \ (100\text{-एटीओ})/85$$

जहां,

$(\text{एसीसी})_{\text{समायोजन}}$ – समायोजित वार्षिक क्षमता प्रभार

$(\text{एसीसी})_{\text{आर}}$ – वसूले गए वार्षिक क्षमता प्रभार

एटीओ – वर्ष के लिए प्रतिशतता में कुल आउटेज जिसमें बलपूर्वक तथा योजनाबद्ध आउटेज भी है :

परंतु यह और कि उत्पादन केंद्र से ग्रिड संहिता की अनुसूचित प्रक्रिया के अनुसार दिन के सभी समय ब्लाकों के लिए आगे के दिन के आधार पर अपनी दैनिक मशीन उपलब्धता को घोषित करने की अपेक्षा की जाएगी।"

11. मूल विनियम के विनियम 27 का संशोधन:

(1) मूल विनियम के विनियम 27 के खंड (ii) के पश्चात् निम्नलिखित एक नया खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात् :

"(iiक) पम्पित भंडारण हाइड्रो उत्पादन केंद्र की दशा में, डाउन स्ट्रीम जलाशय से अप-स्ट्रीम जलाशय तक पम्पिंग जल के लिए अपेक्षित विद्युत की मात्रा की व्यवस्था फायदाग्राहियों द्वारा उत्पादन केंद्र के बस-बार तक पारेषण तथा वितरण हानियों आदि को सम्यक् रूप से ध्यान में रखते हुए की जाएगी। इसके बदले में, फायदाग्राही व्यस्ततम घंटों के दौरान उत्पादन केंद्र से निम्न उत्थापन जलाशय से उच्चतर उत्थापन जलाशय तक की पम्पिंग में प्रयुक्त ऊर्जा के 75% के समकक्ष ऊर्जा के हकदार होंगे तथा उत्पादन केंद्र व्यस्ततम घंटों के दौरान विद्युत की ऐसी मात्रा की आपूर्ति की बाध्यता के अधीन होगा :

परंतु यह कि यदि फायदाग्राही आफ-पीक घंटों के दौरान ऊर्जा के अपेक्षित स्तर की आपूर्ति करने में असफल होते हैं तो व्यस्ततम घंटों के दौरान स्टेशन से उनकी ऊर्जा हकदारी में आनुपातिक कटौती की जाएगी :

परंतु यह और कि फायदाग्राही उत्पादन केंद्र में क्षमता की अपनी हिस्सेदारी को भागत: या पूर्णत: समनुदेशित या अभ्यर्पित कर सकेंगे, या क्षमता को केंद्रीय सरकार द्वारा पुन:आबंटित किया जा सकेगा तथा उस दशा में, क्षमता हिस्सेदारी का स्वामी या समनुदेशिती आफ-पीक घंटों में उत्पादन केंद्र के लिए समतुल्य ऊर्जा की व्यवस्था करने के लिए उत्तरदायी होंगे तथा व्यस्ततम घंटों के दौरान तस्थानी ऊर्जा के लिए उसी रीति से हकदार होंगे जिसके लिए मूल फायदाग्राही हकदार था।"

12. मूल विनियम के विनियम 32 का संशोधन:

मूल विनियम के विनियम 32 के अधीन टिप्पण 3 के परंतुक में, निम्नलिखित शब्दों को हटा दिया जाएगा :

"(जो राज्य नियंत्रणाधीन या स्वामित्वाधीन कंपनी न हो)"

13. मूल विनियम में नए विनियमों का जोड़ा जाना:

मूल विनियम के विनियम 42 के पश्चात् एक नया विनियम जोड़ा जाएगा अर्थात् :-

"42क. फीस, प्रभार **तथा खर्चों की प्रतिपूर्ति:**

(1) निम्नलिखित फीस तथा प्रभार की प्रतिपूर्ति फायदाग्राहियों द्वारा प्रत्यक्षत: उत्पादन केंद्रों में उनके आबंटन के अनुपात में या पारेषण ग्राहकों द्वारा 3.6.2011 तक केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन तथा शर्तें) विनियम, 2009 के विनियम 33 तथा तत्पश्चात् समय-समय पर यथासंशोधित केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक प्रभारों तथा हानियों में हिस्सेदारी) विनियम, 2010 के अनुसार अवधारित अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली में उनके शेयर के अनुपात में की जाएगी;

(क) समय-समय पर यथासंशोधित केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र की फीस तथा प्रभार और अन्य संबंधित मामले) विनियम, 2009 के अधीन उत्पादन कंपनियों या अंतर-राज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों (जिसमें समझे गए अंतर-राज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी भी हैं) द्वारा संदत्त फीस तथा प्रभार;

(ख) केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (फीस का संदाय) विनियम, 2008 तथा केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (फीस का संदाय) विनियम, 2012 या उसके किसी पश्चातवर्ती संशोधन या पुन: अधिनियमिति के अनुसार अंतर-राज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों (जिमसें समझे गए अंतर-राज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी भी हैं) द्वारा संदत्त अनुज्ञप्तिधारी फीस;

(ग) जम्मू-कश्मीर जल संसाधन (विनियम तथा प्रबंधन) अधिनियम, 2010 के उपबंधों के अनुसार एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा राज्य जल संसाधन विकास प्राधिकरण, जम्मू को संदत्त अनुज्ञप्ति फीस;

(2) उत्पादन कंपनी तथा अंतर-राज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी (जिसमें समझे गए अंतर-राज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी भी हैं) इस विनियम के खंड (1) में यथाउल्लिखित उस फीस की वसूली करने के हकदार होंगे जो इन विनियमों की अधिसूचना तक संदत्त की जा चुकी हो।

(3) आयोग अपने विवेकानुसार तथा लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के लिए तथा प्रभावित पक्षकारों को सुनने के पश्चात् कोई ऐसी फीस या खर्चों की पूतिपूर्ति अनुज्ञात कर सकेगा जो आवश्यक समझी जाए।"

राजीव बंसल, सचिव

[विज्ञापन III/4/असा./150/12]

टिप्पण :— मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 3, खंड 4 में तारीख 20 जनवरी, 2009, संख्या 10 में प्रकाशित किए गए थे। मूल विनियमों के प्रथम संशोधन को भारत के राजपत्र, संख्या 92, असाधारण, भाग 3, खंड 4, तारीख 2 मई, 2011 तथा मूल विनियम के दूसरे संशोधन को भारत के राजपत्र, संख्या 129, असाधारण, भाग 3, खंड 4, तारीख 22.6.2011 में प्रकाशित किए गए थे।

02 GI/13-3